न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर
पीठासीन अधिकारी :– प्रदीपसिंह सांगावत, आर॰ए॰एस॰

प्रकरण संख्या 05 / 2023 (राजसमन्द आर्डर)

मोहनसिंह पिता मालसिंह जी, जाति रावत, निवासी खेजड़िया, छापली, तहसील भीम, जिला राजसमन्द (राज.)

..... अपीलान्ट

बनाम

1. मिश्रीलाल पिता रतनलाल जी, जाति ढोली, निवासी खिमाखेड़ा, तहसील भीम, जिला राजसमन्द (राज.)
2. राकेश कुमार पिता गऊराम जी, जाति सालवी, निवासी हामेला की बेर–बरार, तहसील भीम, जिला राजसमन्द (राज.)
3. रमेशचन्द्र पिता घीसुलाल जी, जाति सालवी, निवासी भोपो की डोली, तहसील भीम, जिला राजसमन्द (राज.)
4. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार भीम, जिला राजसमन्द (राज.)

.....रेस्पोन्डेन्टगण

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान
काश्तकारी अधिनियम–1955 विरूद्ध
निर्णय उपखण्ड अधिकारी भीम दि0
26.06.2018 प्रकरण संख्या 33/2017

———/———

उपस्थित :– 1– श्री मदन सिंह चौहान अभिभाषक अपीलान्ट
2– श्री कमलेश चौहान अभिभाषक रे.सं. 1 से 3

———::———

निर्णय **दिनांक 30–05–2024**

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि अधिनस्थ न्यायालय में हाल अपीलान्ट ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा खीमाखेड़ा में आराजी नंबर 8479, 8480 कुल किता 2 रकबा 4 बीघा 17 बिस्वा 5 बिश्वांसी भूमि स्थित है, जिसके साबिक आराजी नंबर 1047, 1051 थे। उक्त आराजियात पर प्रार्थी अपने पूर्वजों के समय से काबिज होकर निरन्तर काश्त करता चला आ रहा है, अप्रार्थी का उक्त भूमि में कोई दखल नहीं रहा तथा 1350

Signature Not Verified
Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.10.30 12:39:52 IST
Reason: SelfAttested

फसली में खाता खेवट हाल 112/24 जो प्रार्थी के पूर्वज रामा वल्द पीथा के नाम दर्ज होकर वर्षो से कब्जा चला आ रहा है, जिसे 50 वर्ष से भी अधिक समय हो चुका है, किन्तु अप्रार्थी की नियत में खोट होने से विवादित आराजियात को खुर्द–बुर्द करना चाह रहा है। अतः अप्रार्थी को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जावे।

अधिनस्थ न्यायालय ने प्रकरण राजस्व कैम्प में रखकर अपने निर्णय दिनांक 26–06–2018 से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्ट/प्रार्थी द्वारा यह अपील इस न्यायालय में दिनांक 14–02–2023 को प्रस्तुत की गयी है।

अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोन्डेन्टगण को जरिये सम्मन सूचना दी गई, जिस पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 से 3 की ओर से अधिवक्ता श्री कमलेश चौहान उपस्थित हुए। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय अपीलान्ट की अनुपस्थिति में किया गया है, जिसकी जानकारी अपीलान्ट को प्रथम बार माह 2023 में तब हुई जब भू–माफिया मौके पर गतिविधियां संचालित करने लगे। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अपील अन्दर मियाद शुमार की जावे। ताईद में शपथ पत्र प्रस्तुत किया।

उक्त बहस का जवाब देते हुए विद्वान अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट ने बताया कि अपील करीब 5 वर्ष विलम्ब से प्रस्तुत की गयी एवं देरी के जो कारण अपीलान्ट ने बताये हैं वह 5 वर्ष के विलम्ब हेतु न तो उचित कारण प्रतीत होता है, न ही इसे पर्याप्त कारण माना जा सकता है। अतः अपील बेरून मयाद होने से इसी स्तर पर खारिज की जावे।

हमने उक्त प्रार्थना पत्र पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। प्रकरण के गुणावगुण के दृष्टिगत न्यायहित में मयाद कण्डोन की जाकर अपील श्रवणार्थ ग्रहण की जाती है।

अपीलान्ट की ओर से धारा 96 जा.दी. का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि विवादित आराजियात [illegible] य रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 द्वारा

Signature Not Verified
Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.10.30 12:39:52 IST
Reason: SelfAttested

रेस्पोन्डेन्ट संख्या 2 के पक्ष में किया गया, तत्पश्चात् रेस्पोन्डेन्ट संख्या 2 द्वारा रेस्पोन्डेन्ट संख्या 3 के पक्ष में रजिस्टर्ड विक्रय किया गया, जिससे अपील में रेस्पोन्डेन्ट संख्या 3 प्रकरण में आवश्यक पक्षकार होने से उन्हें रेस्पोन्डेन्ट संख्या 3 के रूप में प्रतिस्थापित किया जावे।

हमने उक्त प्रार्थना पत्र पर मनन कर पत्रावली का अवलोकन किया। अपीलान्ट द्वारा रमेशचन्द्र पिता घीसुलाल को अपील में रेस्पोन्डेन्ट संख्या 3 के रूप में संस्थित करते हुए रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के आधार पर आवश्यक पक्षकार होने से उसे प्रतिवादी संख्या 3 के रूप में प्रतिस्थापित किये जाने का निवेदन किया है, जिसका कोई खण्डन अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट द्वारा नहीं किया गया है। अतः न्यायहित में प्रार्थना पत्र धारा 96 जा.दी. स्वीकार किया जाकर श्री रमेशचन्द्र पिता घीसुलाल को रेस्पोन्डेन्ट संख्या 3 के रूप में प्रतिस्थापित किये जाने की अनुज्ञा प्रदान की जाती है।

अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को पुनः वक्त बहस दोहराते हुए बताया कि अपीलान्ट का विवादित आराजियात पर कब्जा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम लागू होने के पूर्व से अपने पूर्वजों के समय से चला आ रहा है। अधिनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट की अनुपस्थिति में निर्णय पारित किया है तथा पक्षकारों के मध्य किसी प्रकार की सहमति नहीं होने के बावजूद प्रकरण राजस्व लोक अदालत में रखकर निर्णय पारित कर दिया है, जबकि लोक अदालत में सहमति वालों प्रकरणों का ही निस्तारण किया जाता है। अपीलान्ट के बाप–दादाओं के नाम वादग्रस्त भूमि होते हुए भी सेटलमेन्ट के अधिकारियों ने उक्त आराजियात का रद्दोबदल कर रेस्पोन्डेन्ट का नाम अंकित कर दिया, लेकिन कब्जा आज भी अपीलान्ट का ही चला आ रहा है, जिससे प्रथम दृष्टया प्रकरण एवं सुविधा का संतुलन अपीलान्ट/प्रार्थी के पक्ष में होते हुए भी अधिनस्थ न्यायालय ने प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया जो अपास्त योग्य है। अतः अपीलार्थी स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त किया जावे तथा रेस्पोन्डेन्टगण को मूलवाद के निस्तारण तक जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जावे।

उक्त बहस का जवाब देते हुए विद्वान अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट ने बताया कि अपीलान्ट/प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में किये गये कथनों को साबित

Signature Not Verified
Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.10.30 12:39:52 IST
Reason: SelfAttested

नहीं करवाया है। अपीलान्ट का विवादित आराजियात से कोई संबंध नहीं है, न ही उनका कब्जा है। अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। अतः अपील सारहीन होने से खारिज की जावे।

हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया। अभिभाषक अपीलान्ट द्वारा न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत दस्तावेज फसली सन् 1350 में साबिक आराजी नंबर 112/24 अपीलान्ट/प्रार्थी के पूर्वाधिकारी रामा वल्द पीथा के नाम दर्ज है। उक्त साबिक आराजी नंबर 112/24 से नये नंबर 999 व 1000 बनना खतौनी जमाबन्दी से प्रकट होता है। तत्पश्चात आराजी नंबर 999 व 1000 से नवीन आराजी नंबर 1047 व 1051 बनना एवं नवीन आराजी नंबर 1047 व 1051 से हाल आराजी नंबर 8479 व 8480 बनना भू–प्रबन्ध विभाग की जमाबन्दी संवत् 2022 से बनना स्पष्ट है। हाल जमाबन्दी में विवादित आराजियात रेस्पोन्डेन्ट के नाम किस प्रकार दर्ज हुई तथा कब्जा विवादित आराजियात पर किस पक्षकार का है, इस बाबत् अधिनस्थ न्यायालय द्वारा किसी प्रकार का विवेचन नहीं किया है तथा बिना किसी प्रकार का विवेचन किये एवं बिना पक्षकारान की सहमति में प्रकरण राजस्व कैम्प में रखकर दिनांक 26–06–2018 को अपीलान्ट/प्रार्थी का अस्थायी निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र मात्र इस आधार पर खारिज कर दिया कि प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन होने से एवं मौके पर शान्ति होने से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है, जबकि इस प्रकार की कोई साक्ष्य अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर नहीं है। तद्नुसार अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय प्रथम दृष्टया त्रुटि पूर्ण होने से अपास्त योग्य है।

अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय दिनांक 26–06–2018 अपास्त किया जाता है तथा मूलवाद के निस्तारण तक मौके व रेकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने का आदेश दिया जाता है। निर्णय आज दिनांक 30–05–2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जावे।

(प्रदीपसिंह सांगावत)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.10.30 12:39:52 IST
Reason: SelfAttested